संख्या-27/2018/क0नि0-4-641/11-2018-400(26)/2006

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 18 जून, 2018**

विषयः- वाणिज्य कर विभाग में 10 निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापनस्वरूप 10 नए वाहन क्रय करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी-4-वाहन क्रय-निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नया वाहन-2018-19/952/वाणिज्य कर, दिनांक 21.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग में संलग्न सूची के अनुसार निष्प्रयोज्य घोषित 10 वाहनों के प्रतिस्थापनस्वरूप 10 नए टाटा सूमो गोल्ड EX BS4 मॉडल के वाहन क्रय किये जाने हेतु GeM Price प्रति वाहन दर रु0-6,51,755.00 की दर से कुल धनराशि रु0-65,17,550.00 (रुपया पैंसठ लाख सत्रह हज़ार पाँच सौ पचास मात्र) व्यय किए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल एतद्द्वारा प्रदान करते हैं:-

(1) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निष्प्रयोज्य उक्त 10 वाहनों के स्थान पर पूर्व में नया वाहन क्रय न किया गया हो।

(2) स्वीकृत नए वाहन का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस दर पर किया जाएगा तथा क्रय किए जाने वाले वाहनों की गुणवत्ता एवं ई-मार्केट दरों की वैधता की अवधि कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा सुनिश्चित कर ली जाएगी।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र सं0-यू0ओ0-ई-9-329/दस-2018, दिनांक 15 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-27/2018/क0नि0-4-641(1)/11-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।

2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।

3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

6. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-27/2018/क0नि0-4-641/11-2018-400(26)/2006

दिनांकः 18 जून, 2018 में उल्लिखित 10 निष्प्रयोज्य वाहनों की सूचीः-

क्र0 सं0	निष्प्रयोज्य घोषित वाहन संख्या	कार्यालय का नाम	निष्प्रयोज्य प्रमाण-पत्र संख्या/तिथि	नीलामी से प्राप्त धनराशि एवं चालान सं0 दिनांक सहित
01	***02***	***03***	***04***	***05***
01	UP-80-Y-2141 (जीप)	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर, आगरा	2473/27.07.2017	123647 दिनांक 19-02-2018 रु०-49,560.00
02	UP-80-AB-2134 (जीप)	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर, आगरा	2471/27.07.2017	123852 दिनांक 19-02-2018 रु०-53,100.00
03	UP-90-B-2186 (जीप)	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर, बांदा	218/13.04.2017	रु०-71,200.00 + रु०-62,000.00 = कुल रु०-1,33,200.00 चालान सं0-B030060/24-08-17 रु०-1,33,200.00
04	UP-90-A-8450 (सूमो)	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर, बांदा	219/13.04.2017	
05	UP-25-N-0238 (स्पेशियो)	असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर, पीलीभीत	878/16.05.2017	P020033/01-11-17 रु०-49,000.00
06	UP-32-BG-2409 (बोलेरो)	वाणिज्य कर मुख्यालय	3222/04.09.2017	रु०-2,58,000.00 + रु०-1,83,500.00 + रु०-2,13,500.00 = कुल रु०-6,55,000.00 चालान सं0-J020053/13-10-17 रु०-6,55,000.00
07	UP-32-BG-2410 (बोलेरो)	वाणिज्य कर मुख्यालय	3221/04.09.2017	
08	UP-32-BG-2411 (बोलेरो)	वाणिज्य कर मुख्यालय	3220/04.09.2017	
09	UP-75-G-0028 (सूमो)	डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर, इटावा	5397/25.02.2016	80/07-04-2017 रु०-47,250.00
10	UP-82-C-7889 (सूमो)	असिस्टेन्ट कमिश्नर (ए), वाणिज्य कर, एटा	1572/09.07.2014	151035/13-06-2017 रु०-50,500.00

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।